NCRES

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.&I.T.F.
Central Office : 464-AB, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)
Website : www.ncresindia.org | E-mail : rpsinghncr@gmail.com

R. P. Singh
Gen. Secretary
&
Treasurer-NFIR

Resi. 273-A, Nyay Vihar Colony
Sulem Sarai, Prayagraj - 211011
P&T (O) 0532-2560480, (R) 2972645

No : 166/NCRES/71/84/24 Date : 6.8.2024

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषयः– रेलवे बोर्ड के दिशा–निर्देशो के विरूद्ध केन्द्रीय चिकित्सालय, प्रयागराज में पैरा मेडिकल स्टाफ का रिइन्गेजमेन्ट किया जाना।

संदर्भ :– (1) RBE 142/2023 दिनांक 19.12.2023 व RBE 59/2024 दिनांक 28.6.2024
(2) महाप्रबंधक स्तर पर NCRES का पी.एन.एम. मद संख्या 6/2024
(3) NCRES का पत्र संख्या 106/NCRES/84/24 दिनांक 4.5.2024
(4) केन्द्रीय चिकित्सालय, प्रयागराज द्वारा दिनांक 1.8.2024 से नियम विरूद्ध पैरा मेडिकल स्टाफ को GeM पोर्टल से रिइन्गेज किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि NCRES लम्बे समय से पत्र व पी.एन.एम. के माध्यम से अवगत कराता रहा है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के केन्द्रीय चिकित्सालय द्वारा रेलवे बोर्ड के दिशा–निर्देशो के विरूद्ध पैरा मेडिकल स्टाफ का रिइन्गेजमेन्ट GeM पोर्टल से किया जा रहा है।

विदित हो कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या RBE 142/2023 दिनांक 19.12.2023 एवं RBE 59/2024 दिनांक 28.6.2024 के अनुसार रेलवे चिकित्सालयो में पैरामेडिकल स्टाफ का रिइन्गेजमेन्ट पहले रिटायर्ड रेलवे स्टाफ में से किया जायेगा एवं बचे हुये पदो का रिइन्गेजमेन्ट GeM पोर्टल से किया जायेगा।

यह भी कि दिनांक 11/12 जुलाई 2024 को महाप्रबंधक स्तर पर हुई पी.एन.एम. बैठक में ''संघ'' को अवगत कराया गया था कि इस बार पैरामेडिकल स्टाफ का रिइन्गेजमेन्ट रेलवे बोर्ड के दिशा–निर्देशो के तहत ही होगा, परन्तु खेद का विषय है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के केन्द्रीय चिकित्सालय, प्रयागराज ने पैरामेडिकल स्टाफ का रिइन्गेजमेन्ट GeM पोर्टल से कर के रेलवे बोर्ड के नियमो की खुली अवहेलना की है जिससे कर्मचारियों में बेहद रोष है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में पैरा मेडिकल स्टाफ के रिइन्गेजमेन्ट में रेलवे बोर्ड के दिशा–निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित आदेश जारी करने की कृपा करें और आदेश की प्रतिलिपि NCRES को उपलब्ध कराने के लिये निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज